<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर</u>

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 06/2021 (निगरानी पंचायत)
GCMS No: 2021/33

अनवान

1. श्री मनमोहन शर्मा पुत्र श्री देवीशंकर शर्मा, निवासी पाटूना चौक, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)

– निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्री कुंजबिहारी शर्मा पुत्र श्री देवीशंकर शर्मा, निवासी पाटूना चौक, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
2. ग्राम पंचायत ऋषभदेव, जरिये सचिव ग्राम पंचायत ऋषभदेव, पंचायत समिति ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री लोकेश मेनारिया, अधिवक्ता निगरानीकर्ता।

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत ऋषभदेव पट्टा जारी आदेश दिनांक 23.02.2014 (पट्टा संख्या 13181 मिसल संख्या 26/2013)</u>

* <u>निर्णय</u> *

दिनांक– 28-02-2022

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मौजा ऋषभदेव, जिला उदयपुर में निगरानीकर्ता एवं विपक्षी संख्या 1 के संयुक्त परिवार की एक पैतृक अचल संम्पति स्थित है, जो स्वर्गीय देवीशंकर पुत्र कृपाराम के स्वामित्व एवं कब्जे की थी एवं उनके निधन के उपरान्त निगरानीकर्त्ता तथा विपक्षी संख्या 1 के संयुक्त स्वामित्व मे आयी है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 से आबादी भूमि मे स्थित पुराने गृह (पैतृक मकान) का पट्टा संख्या 13181 दिनांक 23.02.2014 को स्वयं के नाम से प्राप्त कर लिया जिसकी साईज कुलिया 499.65 वर्गफीट हैं। विपक्षी संख्या 1 के पूर्व पुरूष धुलजी पण्ड्या (फोत) थे, जिनके 3 पुत्र गणेशलाल, कृपाराम एवं पन्नालाल थे होकर कृपाराम (फोत) के तीन वारिस देवशंकर, कांता एवं कमला देवी थे। देवशंकर के निधन के पश्चात् गोपालकृष्ण, बृजबाला, कुंजबिहारी (विपक्षी संख्या 1), मनमोहन (निगरानीकर्ता) तथा दीपक विधिक वारिस रहे हैं। पूर्व पुरूष धुलजी पण्ड्या के निधन के उपरान्त उनके तीनो पुत्रो ने दिनांक 21.05.1955 को एक सम्पत्ति खरीदी, जो कालान्तर म

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.14 10:35:55 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्तानुसार विभाजित होती गई। निगरानीकर्ता एवं विपक्षी संख्या 1 के पूर्व पुरूष देवशंकर के हिस्से मे आई समस्त सम्पत्ति मे बराबर का हिस्सा उनके पांचो सन्तानों का हैं, जिसमे से अन्य सन्तानों को अन्यत्र सम्पत्ति मे हिस्सा दे दिया गया है। विवादित भूमि पर निगरानीकता एवं विपक्षी संख्या 1 का बराबर हिस्सा है, जिसमे दोनो ही पक्षकार अपने अपने हक एवं हिस्से पर काबिज है, किन्तु विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 के समक्ष झूठे तथ्य प्रस्तुत कर स्वयं के नाम से पट्टा जारी करा लिया। विपक्षी संख्या 1 ने स्वयं अपने आवेदन मे यह स्वीकार किया है कि उसके पास कोई प्रमाण एवं सबूत नहीं है। पंचायत की आदेशिका पर कहीं भी सचिव के हस्ताक्षर एवं सील नहीं हैं। नक्शें पर भी नकल नवीस के स्थान पर कोई हस्ताक्षर नहीं है एवं न ही आराजी संख्या अथवा रकबा अंकित हैं। पंचायत द्वारा की गई समस्त कार्यवाही गलत है। पट्टा प्राप्त करने हेतु विपक्षी संख्या 1 ने संबंधित पटवार मण्ड़ल कार्यालय से किस्म भूमि प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, उस पर भी आराजी संख्या एवं रकबा अंकित नहीं है एवं न ही पटवारी के हस्ताक्षर हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र पर निगरानीकर्ता के हस्ताक्षर होना बताया है, जबकि निगरानीकर्ता द्वारा कभी हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं एवं अन्य भाई गोपालकृष्ण के भी अनापत्ति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नहीं है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा विवादित भूमि पर स्वयं के एकल स्वामित्व होने बाबत कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। विवादित भूमि पर दोनो पक्षकारों द्वारा दिनांक 05.06.2017 को हुए आपसी लिखतम से स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर निगरानीकर्ता एवं विपक्षी संख्या 1 दोनो का संयुक्त स्वामित्व हैं। पंचायत की कार्यवाही मे निरीक्षण प्रपत्र रिक्त है। फर्द अहकाम पर मात्र सरपंच के हस्ताक्षर है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा जारी सूचना पत्र पर आराजी संख्या एव रकबा अंकित नहीं हैं। आदेशिका पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। निगरानीकर्ता को पैतृक सम्पत्ति से वंचित करने का प्रयास किया गया है। उक्त कार्यवाही दूषित होने से उक्त पट्टा 7 वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद पंजीकृत नहीं कराया गया हैं। अतः उक्त पट्टा प्रारंभ से ही निरस्त योग्य होने से निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे जारी कथित पट्टे को निरस्त किया जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षीगण के नाम जारी नोटिस उन्हे रजिस्टर्ड ड़ाक से डिलीवर हो जाने के बावजूद रेस्पोडेन्ट्स की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। ग्राम पंचायत से मूल पत्रावली तलब की जाकर प्रकरण मे सुनवाई हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को निगरानीकर्ता के अधिवक्ता उपस्थित हुए। विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित न होने से प्रकरण मे निगरानीकर्ता के अधिवक्ता की एकतरफा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.14 10:35:55 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई। बहस प्रांरभ करते हुए निगरानीकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा निगरानी मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथित पट्टा अवैध जारी होना, भूमि पैतृक होना, तत्कालीन अधिकारीयों एवं कर्मचारियो की मिलीभगत होना, विपक्षी संख्या 1 के पास एकल स्वामित्व का कोई दस्तावेज न होना, पत्रावली की आदेशिका पर मात्र सरपंच के हस्ताक्षर होना, नक्शा नवीस के नक्शें पर हस्ताक्षर न होना, आराजी संख्या एवं रकबा अंकित न होना, भूमि प्रमाण पत्र पर पटवारी के हस्ताक्षर न होना, मोहर अंकित न होना, अनापत्ति प्रमाण पत्र पर निगरानीकर्ता के झूठे हस्ताक्षर होना आदि आधारों पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे को विधि विरूद्ध बताते हुये निरस्त करने को मांग की।

हमने निगरानीकर्ताओं के अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी, पत्रावली मे उपलब्ध निगरानी, ग्राम पंचायत ऋषभदेव की पत्रावली आदि अवलोकन किया एवं उनमे वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया। ग्राम पंचायत ऋषभदेव से प्राप्त मूल पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता ह कि विपक्षी संख्या 1 श्री कुंजबिहारी शर्मा पुत्र श्री देवीशंकर शर्मा पुराने मकान का पट्टा चाहने बाबत् विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या के पक्ष मे पत्रावली संख्या 26/2003 संधारित कर पट्टा संख्या 13181 जारी किया गया है, किन्तु आवेदनकर्ता के आवेदन पत्र पर दिनांक का अंकन नही है। पंचायत की आदेशिका पर आवेदनकर्ता विपक्षी संख्या 1 के पास भूमि का कोई दस्तावेज न होने का उल्लेख किया गया हैं, फिर भी बिना दस्तावेजी आधार पर उक्त पट्टा जारी हुआ हैं। पत्रावली मे उपलब्ध अनुसार न तो किस्म भूमि प्रमाण पत्र पर पटवारी हल्का के हस्ताक्षर इत्यादि अंकित है, न नक्शा आबादी भूमि पर नक्शा नवीस के हस्ताक्षर है, न ही आराजी एवं रकबे का उल्लेख है। अनापत्ति प्रमाण पत्र भी समस्त परिवारजन/हिस्सेदार के हस्ताक्षर नहीं हैं। पंचायत की आदेशिका पर सचिव के हस्ताक्षर नहीं है एवं निरीक्षण प्रपत्र भी रिक्त है। इसी प्रकार आपत्ति आहवान पत्र पर भी क्रमांक एवं दिनांक इत्यादि का अभाव हैं। पत्रावली मे उपलब्ध विद्युत बिल कृपाराम के नाम से जारी हुआ है एवं यदि भूमि पर पैतृक निर्माण था, तो विपक्षी संख्या 2 का यह दायित्व था कि विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे पट्टा जारी करने से पूर्व समस्त तथ्यों की विस्तृत जांच की जाती। विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र मे भूमि की किस्म बिलानाम आबादी होना प्रदर्शित की गई हैं। यह भी विचारणीय बिंदु यह है कि क्या पट्टा जारी करते समय भूमि ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित हुई थी अथवा नही? इसके अतिरिक्त कथित भूमि पर ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार प्राप्त था अथवा नही? इस बाबत कोई उल्लेख ग्राम पंचायत द्वारा कोरम मे अथवा अपनी फर्द पर नहीं किया गया हैं। दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण मे पूर्णतया जांच किये बिना एवं प्रक्रिया अपनाये बिना कथित पट्टा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे जारी हुआ हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.14 10:35:55 IST
Reason: SelfAttested

ऐसा पट्टा स्पष्ट रूप से प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण परिलक्षित होने से निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत ऋषभदेव, जिला उदयपुर द्वारा मिसल संख्या 26/2003 द्वारा विपक्षी संख्या 1 श्री कुंजबिहारी शर्मा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 13181 निरस्त किया जाता है एवं ग्राम पंचायत को निर्देशित किया जाता है कि भूमि को ग्राम पंचायत के नाम दर्ज होने के पश्चात यदि विपक्षी संख्या 1 पट्टे की पात्रता रखता हो तो नवीन सिरे से आवेदन प्राप्त कर पूर्णतया विधिक प्रक्रिया का अनुसरण कर तदनुसार कार्यवाही करें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओ.पी.बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.14 10:35:55 IST
Reason: SelfAttested